793

EMEI

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-।

संख्या:18 / ए-मृ0आ0सेवा0(निर्देश)-2014 दिनांक:सितम्बर 24 ,2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषयः- विशेष अपील सख्या: 1069 / 2014, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राज सूर्य प्रताप सिंह में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08-05-2015 को पारित निर्णय के अनुपालन में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

......

मृतक आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य की ओर से योजित विशेष अपील सख्या: 1069 / 2014, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राज सूर्य प्रताप सिंह में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेन्च द्वारा दिनांक 08-05-2015 को निम्न निर्देश पारित किये गये हैं:-

Rule 5 mandates that ordinarily, an application for compassionate appointment must be made within five years of the date of death of the deceased employee. The power conferred by the first proviso is a discretion to relax the period in a case of undue hardship and for dealing with the case in a just and equitable manner. The burden lies on the Applicant, where there is a delay in making an application within the period of five years to establish a case on the basis of reasons and a justification supported by documentary and other evidence. It is for the State Government, after considering all the facts to take an appropriate decision. The power of relaxation is in the nature of an exception and is subject to the existence of objective consideration to the satisfaction of the government.

The compassionate appointment do not constitute a reservation of a post in favour of the member of the family of the deceased employee. It can not be claimed as a matter of right. The compassionate appointment is exception to the general rule of recruitment. The object and purpose providing the compassionate appointment is to enable the dependent members of the family of the deceased employee to tied over the immediate financial crises caused by the death of the bread-earner. In determining as to whether the family is in financial crises, all relevant aspects must be borne in mind including the terminal benefits received by the family; the age, dependency and marital status of its members, together with the income from any other sources of employment and for such determination, the details sought is required to be given in the application as provided under Rule 6 of the Rules.

Before parting with the case, we feel it appropriate to issue certain directions to the police department and other Government departments, which are :

We direct accordingly,

A. In order to achieve the object of the compassionate appointment and to meet the immediate financial crises, which arises on account of the death of the deceased employee, it would be appropriate to dispose of the application of the compassionate appointment within a maximum period of **six months** from the date of its presentation.

B. The determination of the financial crises is the most relevant consideration and for determining the financial crises of the family and all relevant aspects must be borne in mind including the income of the family; the terminal benefits received by the family, the age, dependency and marital status of its members, together with the income from any other source of employment or from immovable properties and **specific findings in this regard must be recorded**.

C. We are of the view that without determining the financial crises and recording finding in this regard, the compassionate appointment can not be given, if given, is illegal.

2— इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल अपील संख्या 356/2012 शिव कुमार दूबे बनाम उ0प्र राज्य व अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ (फुल बेन्च) द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रतिपादित किये गये हैं:—

(i) A provision for compassionate appointment is an exception to the principle that there must be an equality of opportunity in matters of public employment. The exception to be constitutionally valid has to be carefully structured and implemented in order to confine compassionate appointment to only those situations which subserve the basic object and purpose which is sought to be achieved;

(ii) There is no general or vested right to compassionate appointment. Compassionate appointment can be claimed only where a scheme or rules provide for such appointment. Where such a provision is made in an administrative scheme or statutory rules, compassionate appointment must fall strictly within the scheme or, as the case may be, the rules;

(iii) The object and purpose of providing compassionate appointment is to enable the dependent members of the family of a deceased employee to tide over the immediate financial crisis caused by the death of the bread-earner;

(iv) In determining as to whether the family is in financial crisis, all relevant aspects must be borne in mind including the income of the family; its liabilities, the terminal benefits received by the family; the age, dependency and marital status of its members, together with the income from any other sources of employment;

(v) Where a long lapse of time has occurred since the date of death of the deceased employee, the sense of immediacy for seeking compassionate appointment would cease to exist and this would be a relevant circumstance which must weigh with the authorities in determining as to whether a case for the grant of compassionate appointment has been made out;

(vi) Rule 5 mandates that ordinarily, an application for compassionate appointment must be made within five years of the date of death of the deceased employee. The power conferred by the first proviso is a discretion to relax the period in a case of undue hardship and for dealing with the case in a just and equitable manner;

(vii) The burden lies on the applicant, where there is a delay in making an application within the period of five years to establish a case on the basis of reasons and a justification supported by documentary and other evidence. It is for the State Government after considering all the facts to take an appropriate decision. The power to relax is in the nature of an exception and is conditioned by the existence of objective considerations to the satisfaction of the government;

(viii) Provisions for the grant of compassionate appointment do not constitute a reservation of a post in favour of a member of the family of the deceased employee. Hence, there is no general right which can be asserted to the effect that a member of the family who was a minor at the time of death would be entitled to claim compassionate appointment upon attaining majority. Where the rules provide for a period of time within which an application has to be made, the operation of the rule is not suspended during the minority of a member of the family.

3— मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील राज सूर्य प्रताप सिंह में निम्न निर्देश पारित किये गये हैं:—

(क) नियमावली के नियम–5 में मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में मृतक कर्मी के मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके परन्तुक संख्या–1 में राज्य सरकार को उचित व युक्ति–युक्त कारणों के विद्यमान होने की दशा में समय सीमा मे छूट दिये जाने का विवेकाधिकार दिया गया है। पॉच वर्ष की समय सीमा के पश्चात विलम्ब से दिये गये प्रार्थना पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेख/सबूत के देने का भार आश्रित पर होगा कि वह विलम्ब के कारण को उपर्युक्त आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण से साबित करे। सभी तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार उचित निर्णय ले। इस परन्तुक में समय सीमा की छूट दिये जाने की व्यवस्था सेवायोजन के मूल नियम का अपवाद है जो राज्य सरकार की वस्तुपरक संस्तुष्टि पर निर्भर करता है।

(ख) मृतक आश्रित सेवायोजन अधिकार स्वरूप नहीं मॉगा जा सकता है। मृतक आश्रित सेवायोजन भर्ती के सामान्य व्यवस्था का अपवाद है जिसका उद्देश्य मृतक आश्रित को तत्काल आर्थिक संकट से उबारना है । मृत कर्मी का परिवार आर्थिक संकट में है या नहीं इसका निर्धारण सभी तथ्यों, यथा अन्तिम लाभ जो परिवार को प्राप्त हुआ, आश्रित की आयु, मृतक कर्मी पर निर्भरता, वैवाहिक स्थिति तथ अन्य श्रोतों से होने वाले आय को आगणन से विनिश्चित किया जायेगा।

(ग) अनुकम्पा नियुक्ति स्व0 कर्मी की मृत्यु के फलस्वरूप कुटुम्ब में उत्पन्न आर्थिक संकट के तत्काल समाधान हेतु की जाती है। अतः अनुकम्पा के आधार पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 6 माह के अन्दर निस्तारण कर दिया जाय।

(घ) अनुकम्पा नियुक्ति में वित्तीय संकट का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। वित्तीय संकट के निर्धारण में स्व0 कर्मी के परिवार के सदस्य, उनकी आयु, कर्मी पर निर्भरता तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर सदस्यों के किसी अन्य श्रोत से आय के साथ परिवार के सदस्यों की अचल सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।

(ङ) मा0 न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के कम में वित्तीय संकट एवं वित्तीय स्थिति का निर्धारण एवं उस पर स्पष्ट अभ्युक्ति अभिलिखित किये बिना सेवायोजन नहीं दिया जाना चाहिए, यदि दिया गया है, तो वह अवैधानिक होगी।

4– इसी प्रकार स्पेशल अपील संख्या 356/2012 शिव कुमार दूबे बनाम उ0प्र राज्य व अन्य में मा0 तीन न्यायाधीशों की पीठ (फुल बेन्च) के निम्न आदेश पारित किया गया है।

(क) अनुकम्पा नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में दी गयी व्यवस्था है, जिसका मूल उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। यह नियुक्ति का माध्यम नहीं है। मृतक आश्रित सेवायोजन, सेवायोजन के मूल नियम का अपवाद है। लोकरोजगार (Public employment) में जो अवसर की समानता होनी चाहिए उनमें मृतक आश्रित सेवायोजन का प्राविधान एक अपवाद है। यह अपवाद संवैधानिक रूप से मान्य है। इसे सावधानीपूर्वक उन्हीं स्थिति में लागू किया जाना चाहिए जिसमें उसके विषय वस्तु एवं उददेश्य की प्राप्ति हो सके।

(ख) अनुकम्पा नियुक्ति सामान्य एवं निहित अधिकार नहीं है। अनुकम्पा नियुक्ति उस नियम के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए, जो नियम इसके लिए बनाये गये हैं।

(ग) अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का उददेश्य और प्रयोजन सरकारी सेवक के मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रित सदस्यों को आर्थिक संकट से तात्कालिक राहत देना है।

(घ) अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के पूर्व इन सभी बिन्दुओ पर विचार कर लेना चाहिए कि परिवार की आय, उसके परिवार के सदस्यों की संख्या, वैवाहिक स्थिति परिवार के सदस्यों की आय क्या है एवं परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार से प्राप्त आय एवं अन्य श्रोत जैसे अचल सम्पत्ति इत्यादि।

(ङ) स्व0 कर्मी की मृत्यु के पश्चात काफी समय व्यतीत होने पर मृतक सरकारी सेवक के आश्रित को आर्थिक संकट से उबारने की भावना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करते समय इसका निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए कि सेवायोजन दिया जाना आवश्यक है या नहीं ?

(च) मृतक आश्रित नियमावली के नियम–5 में अनुकम्पा नियुक्ति स्व0 कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है जिसके परन्तुक –1 में विशेष परिस्थितियों छूट प्रदान किये जाना एक न्यायसंगत तरीके से किये जाने का प्रावधान है।

(छ) पॉच वर्ष की समय सीमा के पश्चात विलम्ब से दिये गये प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण बताने का भार आश्रित पर होगा और वह उसके समर्थन में न्यायोचित अभिलेख एवं प्रमाण प्रस्तुत करे। सभी तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार उचित निर्णय ले। समय सीमा में छूट एक अपवाद की प्रकृति के रूप में है जो राज्य सरकार के संतुष्टि पर है।

(ज) अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार स्व0 कर्मी के परिवार के सदस्य को सेवायोजन सुरक्षित रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। यह कोई सामान्य अधिकार नहीं है कि यदि आश्रित स्व0 कर्मी के मृत्यु के समय नाबालिग था तो वह बालिग होने पर अनुकम्पा नियुक्ति पाने का अधिकारी है। जबकि नियमावली में समय सीमा के अन्तर्गत ही सेवायोजन दिये जाने का प्राविधान है। मात्र प्रार्थना पत्र दे दिये जाने से सेवायोजन के अधिकार को बालिग होने तक स्थगित नहीं रखा जा सकता है।

5. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती हेतु "आवेदन–पत्र की विषय–वस्तु आवेदन–पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहॉ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन–पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्निलिखित सूचना दी जायेगी:–

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहॉ और वह पद, जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे।

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताऍ, यदि कोई हों।

6. आश्रित से आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्य उनकी आयु, कर्मी पर निर्भरता तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर सदस्यों के किसी अन्य श्रोत से आय के साथ कुटुम्ब के सदस्यों की अचल सम्पत्ति एवं उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुये इस विषय में स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुये सेवायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर विचार किया जाये। यदि सेवायोजन आपके जनपद/इकाई स्तर से दिया जाना है तो अधिकतम 6 माह में सेवायोजन प्रदान करें। अन्य दशा में एक माह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कराकर सम्बन्धित को प्रेषित करें ताकि 6 माह में आश्रित के सवायोजन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा सके। **(मृतक आश्रित द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–01 एवं 02 के रूप में संलग्न हैं।)**

7. इसी प्रकार 05 वर्ष के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्व0 कर्मी की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के पश्चात् विलम्ब से दिये गये अवेदन पत्र में विलम्ब का औचित्य पूर्ण कारण सहित प्रमाण पत्र आश्रित द्वारा दिये जाने पर **शासन के पत्र संख्या:1230/6–पु0–10–2014–1200**

(78)/2015, दिनांकः01.07.2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः18/ए–6रिट(मेरठ)/2015, दिनांकः23.07.2015 के अनुसार मृतक कर्मी के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अनुमन्य 05 वर्ष की निर्धारित समय–सीमा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरण जो 05 वर्ष की निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त के हों, का गम्भीरता से परीक्षण करते हुए विलम्ब से दिये गये आवेदन के औचित्यपूर्ण कारणों एवं मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए पूर्ण प्रस्ताव 23 बिन्दुओं में वांछित सूचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

8. मा0 न्यायालय के उक्त आदशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्याः2030/6–पु0–1–15–213/2015, दिनांकः18.09.2015 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोपरि।

(signature) 2-4/9

पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट–1

मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप
(सेवायोजन हेतु नामित आश्रित द्वारा)

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,
.........................परिक्षेत्र।

द्वारा:– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.....................................
(यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो)

अथवा

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.....................................
(यदि आश्रित कान्स0 ना0पु0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो)

विषयः स्व0............................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई /बहन...................को ....
.......के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति/पिता/भाई स्व0..जो जनपद/इकाई.......................में.....................के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांकः.....................को.................. ....के कारण हो गयी।

2. अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यता................है तथा शारीरिक अर्हता ऊचॉई......... सें0मी0, सीने की माप बिना फुलाये.........सें0मी0, फुलाने पर.............सें0मी0 है। मुझे उ0नि0ना0पु0, एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, कान्स0, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में मैं अपने शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्न कर रहा हूँ। स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्यों का ब्यौरा निम्नवत् हैः–

क0 सं0	कुटुम्ब के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्मतिथि के आधार पर आयु	वैवाहिक स्थिति	अचल सम्पत्ति का विवरण	सदस्य का व्यवसाय	कुटुम्ब के सदस्यों की मासिक आय (रूपये में)		
							कृषि से	पेंशन से	अन्य श्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
कुटुम्ब की कुल मासिक आय विभिन्न श्रोतों से (रूपयों में)									
कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय (रूपयों में) (मासिक आय का 12 गुना)									
कुटुम्ब की विभिन्न आयो का योग–कुल वार्षिक आय									

–:प्राथी/प्रार्थिनीः–
हस्ताक्षर/दिनांक
(नाम...........................)
पति/पिता/भाई स्व0.........................
निवास का स्थायी तथा अस्थायी पता।

नोटः–

1. आवेदन पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पद से सम्बन्धित अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, **यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को प्रार्थना–पत्र सम्बोधित करेगा**, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहॉ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। यदि **आश्रित कान्स0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है** तो उस कार्यालय के प्रधान जहॉ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था को आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2. स्व0 कर्मी की मृत्यु से 05 वर्ष के उपरान्त दिये गये आवेदन पत्र पर विलम्ब के कारण और उसके समर्थन में न्यायोचित अभिलेख एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदार आश्रित की होगी।

परिशिष्ट–2

मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप
(मृत कर्मी की पत्नी द्वारा)

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,
........................परिक्षेत्र।

द्वारा:– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.......................................
(यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो)

अथवा

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.......................................
(यदि आश्रित कान्स0 ना0पु0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो)

विषयः स्व0...............................के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन................ को ....के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति स्व0.............................जो जनपद/इकाई.................. में.......................के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांकः.................को..............(मृत्यु का कारण)............ के कारण हो गयी है।

2. अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे पुत्र/पुत्री.................,जिसकी शैक्षिक योग्यता......... ....है, एवं शारीरिक अर्हता ऊचॉई................सें0मी0 सीने की माप बिना फुलाये.................... सें0मी0, फुलाने पर...........................सें0मी0 है, को उ0नि0ना0पु0, एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, कान्स0, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में उसके शैक्षिक प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियॉ संलग्न की जा रही हैं। स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्यों का ब्यौरा प्रमाण पत्रों के साथ निम्नवत् हैः–

क0 सं0	कुटुम्ब के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्मतिथि के आधार पर आयु	वैवाहिक स्थिति	अचल सम्पत्ति का विवरण	सदस्य का व्यवसाय	कुटुम्ब के सदस्यों की मासिक आय (रूपये में)		
							कृषि से	पेंशन से	अन्य श्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
कुटुम्ब की कुल मासिक आय विभिन्न श्रोतों से (रूपयों में)									
कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय (रूपयों में) (मासिक आय का 12 गुना)									
कुटुम्ब की विभिन्न आयो का योग–कुल वार्षिक आय									

–:प्रार्थिनीः–
हस्ताक्षर/दिनांक
(नाम..........................)
पत्नी स्व0............................
निवास का स्थायी तथा अस्थायी
पता..................................

नोटः–

1. आवेदन पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है, उस पद से सम्बन्धित अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, **यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन करता है तो पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को प्रार्थना–पत्र सम्बोधित करेगा,** किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहॉ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। यदि **आश्रित कान्स0 अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो** उस कार्यालय के प्रधान जहॉ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था को आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2. स्व0 कर्मी की मृत्यु से 05 वर्ष के उपरान्त दिये गये आवेदन पत्र पर विलम्ब के कारण और उसके समर्थन में न्यायोचित अभिलेख एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदार आश्रित की होगी।